बादल कुमार बनाम चमनाराम वगैराह प्रकरण निगरानी संख्या 02/2018

20.08.2018	प्रार्थी के वकील श्री ललित कुमार माली उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 के वकील उपस्थित। प्रकरण में बादल कुमार ने दिनांक 30.07.2018 को प्रार्थना पत्र बावत निगरानी विड्रो करने हेतु मय शपथ पत्र व लाईसेन्स की प्रति सहित पेश कर निवदेन किया है कि जरिए विड्रो कर प्रकरण को फैसल करने का निवेदन किया है। प्रार्थी बादल कुमार उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी के वकील श्री ललित कुमार ने कथन किया कि प्रार्थी बादल कुमार से मेहनताना लेना बाकी है। इस कारण से प्रकरण में मैने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बादल कुमार को पहिचान की तस्दीक नहीं की है। प्रकरण में बादल कुमार की तस्दीक उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में ड्राईविंग लाईसेन्स से उसकी पहिचान नोटेरी द्वारा शपथ पत्र को तस्दीक किया है, जो प्रार्थी की पहिचान के लिये पर्याप्त है। प्रकरण में प्रार्थी स्वंय प्रकरण को जरिए विड्रो निस्तारित करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण जरिए विड्रोवल प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। Sd- जिला कलेक्टर जालोर